न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 56 / 2021

जी.सी.एम.एस. नं.: 2022 / 104

1. देवर्ष पुत्र प्रदीप कुमार नाबालिग जरिये कुदरती वली माता किरण पत्नी प्रदीप कुमार पुत्री आशाराम सिडाना जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 23 एफसीआई गोदाम के पास, विकास नगर श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

–प्रार्थी

बनाम

जुगल किशोर पुत्र कस्तुरी लाल जाति अरोड़ा निवासी 15 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज. **(मृतक)**

1. प्रिंस पुत्र जुगल किशोर जाति अरोड़ा निवासी 15 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. पूजा पुत्री जुगल किशोर जाति अरोड़ा निवासी 15 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. प्रदीप कुमार पुत्र जुगल किशोर गाबा जाति अरोड़ा निवासी 15 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज. हाल कार्यशील भारतीय स्टेट बैंक शाखा संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.
4. पूनम पत्नी जुगल किशोर जाति अरोड़ा निवासी 15 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
5. तहसीलदार राजस्व एवं भू.अ. श्रीविजयनगर, श्रीगंगानगर राज.

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. **श्री सिमरत सिंह गिल, अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री विजय जसूजा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1 से 4**
3. **राजपैरोकार**

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 26.08.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के द्वारा एक वाद पत्र पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसके कामयाब होने की पूरी आशा व आधार है। इस प्रार्थना पत्र को उसका भाग समझा जाकर साथ पढ़ा जावे। प्रार्थी के दादा प्रतिवाद संख्या 1 जुगल किशोर के नाम से चक 15 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर का खाता संख्या 51 प.नं. 154 / 391 मु.नं. 2 का किला नं. 17 / 2, 24 / 2 का 0.253 है., प.नं. 154 / 395 मु.नं. 16 का किला नं. 1, 2 / 1,10, 11, 20 / 1, 21 / 1 का 1.083 है. कुल 1.336 है. नहरी, खाता संख्या 52 प. नं. 155 / 393 मु.नं. 9 का किला नं. 21 ता 25 का 1.240 है. नहरी, खाता संख्या 53 प.नं. 155 / 393 मु.नं. 9 का किला नं. 9, 10, 11 / 1, 15 का 0.873 है. नहरी व खाता संख्या 54 प.नं. 155 / 393 मु.नं. 9 का किला नं. 16 ता 20 का 1.240 है. खातेदारी रकबा है। उक्त सम्पति संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है जो अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता से विरास्तन में प्राप्त हुई है। व शेष सम्पति संयुक्त हिन्दू परिवार की अर्जित आय से क्रय की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 के अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 पुत्र व पुत्री वारिस है। अप्रार्थी संख्या 3 पूजा जो कि विवाहित है। जिसको शादी के समय दान–दहेज के रूप में उसका हिस्सा पूर्व में ही दिया जा चुका है। जिसके द्वारा पूर्व में ही अपना समस्त हक व हिस्सा का मौखिक त्याग अप्रार्थीगण के हक में किया हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 के पास पैरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:33:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

संख्या 2 में वर्णित कुल भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि है। प्रार्थी का परिवार एक हिन्दू परिवार है व हिन्दू विधि से शासित होता है तथा हिन्दू विधि व प्रार्थी के परिवार के रीति रिवाजो के मुताबिक एक पुत्र अपने पिता के जीवन काल में पिता को प्राप्त पैतृक भूमि में अपना हिस्सा घोषित करवा सकता है तथा उसका खाता विभाजन करवा सकता है। इसी रीति रिवाजों के अनुसार ही अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पिता किस्तूरी लाल से विरास्तन प्राप्त रकबा में अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार प्रार्थी भी अपना हक व हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार प्रार्थी उपरोक्त वर्णित रकबा में अप्रार्थी संख्या 4 के 1/3 हिस्सा में अपना 1/2 हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है तथा अपने हिस्से के रकबा का खाता विभाजन भूमि की किस्म अनुसार अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के आधार पर तथा रास्ता, खाला की सुविधा को ध्यान में रख कर करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी की माता किरण के साथ अप्राथी संख्या 4 मारपीट करता था तथा क्रूरता का व्यवहार करता था इसलिए प्रार्थी की माता किरण एवं अप्रार्थी संख्या 4 का साथ रहना मुश्किल हो गया था। व अप्रार्थी संख्या 4 ने दहेज की मांग को लेकर प्रार्थी की माता किरण के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करके और मांग पूरी नहीं करने पर अप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी की माता को गाली गलौच कर धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है। और बिना दहेज की मांग पूरी किये बसाने से इन्कार कर दिया है। व प्रार्थी व उसकी माता को घर से निकाल देने के बाद वह पैतृक सम्पति कृषि भूमि पर जबरदस्ती अकेला काबिज हो गया है और प्रार्थी को उसका हक व हिस्सा देने से इन्कार हो गया है। उक्त रकबा की फसल अप्रार्थी संख्या 4 अकेला ही जबरदस्ती उठा रहा है। प्रार्थी अपने नाना के पास रह कर बड़ी मुश्किल से जीवन निर्वाह कर रहा है। प्रार्थी की माता की अप्रार्थी संख्या 4 के साथ आज से अर्सा करीब 4 वर्ष पूर्व शादी हो गई थी। परन्तु अब अप्रार्थी संख्या 4 ने प्रार्थी व प्रार्थी की माता को अपने घर से निकालने के पश्चात् इस रकबा में न तो प्रार्थी व प्रार्थी माता को घुसने देता है ना ही काश्त करने देता है वा ना ही ठेका हिस्सा देता है इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 4 के विरास्तन रकबा जिसमें मुझ प्रार्थी का जन्म से ही हक व हिस्सा है, में 1/3 हिस्सा में 1/2 हिस्सा का स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करवाकर अपने हिस्सा के रकबा का हिस्सा अनुसार खाता विभाजन करवाकर मुताबिक विभाजन कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 4 ने प्रार्थी को उसके हकों से वंचित कर रखा है। जिसमें शेष अप्रार्थीगण भी अप्रार्थी संख्या 4 के साथ दुर्भिसन्धि कर मिले हुए है। भूमि का प्रचलित ठेका राशि 20,000/– रूपये प्रति बीघा प्रति वर्ष है तथा प्रार्थी अपने हिस्सा की फसली उपज उठाने का पूरा पूरा हकदार है परन्तु अप्रार्थी संख्या 4 प्रार्थी को उसके हिस्सा के रकबा पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होकर फसली फायदा उठा रहा है। इसलिए दौराने दावा भी प्रार्थी को अपने हिस्से के रकबा को रिसीवर करवाकर इस रकबा की काश्त व्यवस्था रिसीवर से करवाने का अधिकारी है तथा रिसीवरी के दौरान प्रार्थी के हिस्सा की भूमि की उपज प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी की वली कुदरती सरंक्षक माता के द्वारा दिनांक 22.06.2022 को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को उनके गांव में मौजिज व्यक्तियों की पंचायत में जैरवाद रक[illegible] हिस्सा 1/3 में से 1/2 हिस्सा रकबा को प्रार्थी के नाम करवाने व [illegible] न करके उनके हिस्से के रकबा का कब्जा प्रार्थी [illegible] हो गया व मौजिज लोगों की पंचायत [illegible] की एक इन्च जमीन देगा वा ना ही प्रार्थी को इस रकबा का कब्जा [illegible]गा तथा वो तो इस रकबा को किसी अन्य के नाम रहन, विक्रय या अन्य प्र[illegible] से हस्तान्तरित कर देगा। प्रार्थी चाहे जो कर लेवे। इसी वजह से प्रार्थी को यह वाद पत्र पेश करना पड़ रहा है। बस यही तारीख बिनाय मुखास्मत एवं बिनाय दावा है जो प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्राप्त है। प्राथी को पूरा पूरा अंदेशा है कि अप्रार्थी संख्या 4 अन्य अप्रार्थीगण से मिलीभगती कर किसी भी समय अपने उक्त नापाक एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:33:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

अवैध इरादे को अंजाम दे सकता है और उक्त विवादित भूमि को अन्यत्र खुर्द–बुर्द व हस्तान्तरित कर सकता है अगर अप्रार्थी संख्या 4 अपने उक्त अवैध एवं नापाक इरादे में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। व प्रार्थी की आय का एकमात्र स्रोत है यह भूमि ही है व उक्त भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पति है जिसमें उसका जन्म से ही हक व अधिकार है। प्रार्थी अभी नाबालिग है जिनके भविष्य के लिए उक्त भूमि का सुरक्षित रहना अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थी के विधिक एवं साम्पत्तिक अधिकारी का हनन होगा जिसकी पूर्ति मुद्रा की ऐवज में नहीं हो सकेगी इसलिए भी प्रार्थी अप्रार्थीगण को अस्थाई व्यादेश से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि विवादित कृषि भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा करवा लेवे तथा अप्रार्थी संख्या 4 के 1/3 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा का अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की घोषणा करवा लेवे। व प्रार्थी विवादित कृषि भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित करवा कर घोषणा का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाने का अधिकारी है। प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों ही महत्वपूर्ण बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी सं.4 को स्थाई व्यादेश से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। चूंकि विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है। जो अप्रार्थी संख्या 1 को उसके पिता से विरास्तन प्राप्त हुई है व अप्रार्थीगण की उक्त सम्पति पैतृक सम्पति है। जो उन्हे विरास्तन प्राप्त हुई है। इस कारण उक्त सम्पति पैतृक सम्पति की श्रेणी में आती है। विवादित कृषि भूमि में प्रार्थी के टीनेन्सी राईट आज तक निरन्तर बने हुए है। अप्रार्थी सं. 3 का विवादित कृषि भूमि में हित निहीत है इसलिए वह इस वाद/प्रार्थना पत्र की आवश्यक पक्षकार है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 5 राज्य सरकार का प्रतिनिधि व लैण्ड होल्डर होने के कारण इस वाद/प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना–पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाने कि मूल वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक विवादित कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 4 के 1/3 हिस्सा में 1/2 हिस्सा यानि 0.7815 है. नहरी खातेदारी रकबा भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर कब्जा राशि प्रार्थी को प्रतिवर्ष के हिसाब से दिलवाई जावे या वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक वर्णित कृषि भूमि की ठेका राशि प्रति वर्ष 15,000/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से प्रार्थी को दिलवाया जावे एवं उक्त कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से अन्यत्र हस्तान्तरित, रहन, वैय, दान आदि करने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने से बाज व ममनू एवं मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के कामयाब होने की कोई आशा व आधार नहीं है। विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता से विरासतन प्राप्त नहीं हुई है बल्कि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्व अर्जित सम्पति है। विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को किस प्रकार विरासतन प्राप्त हुई है इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं किया है इसलिए अप्रार्थी संख्या 4 के हिस्सा में से प्रार्थी पक्ष को कोई 1/2 हिस्सा ... प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र के अभिवचन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये न तो अपना हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है और ना ही कोई विभाजन का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी पक्ष की माता स्वयं एक झगड़ालू किस्म की महिला है तथा उसके द्वारा ही अप्रार्थीगण के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है और दहेज प्रताड़ना के झूठेमुकदमे अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज करवाये जाकर अप्रार्थीगण को तंग परेशान किया जा रहा है। अप्रार्थीगण ने आपस में कोई दुर्भिसन्धि नहीं की हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:33:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

है। प्रार्थी पक्ष को अपने अभिवचनों पर प्रार्थना पत्र में कोई बल प्राप्त नहीं है इसलिये भूमि को रिसीवर करवा पाने का भी कोई अधिकार प्रार्थी पक्ष को प्राप्त नहीं है। प्रार्थी पक्ष को कोई हिस्सा विवादित भूमि में नहीं बनता है इसलिये पंचायत में इंकारी के कथन प्रार्थी पक्ष द्वारा झूठे अंकित करवाये हैं। प्रार्थी पक्ष को कोई वाद कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 तथा 2 ता 4 के नाम से विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है इसलिये अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि को अन्यत्र खुर्द बुर्द व हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी पक्ष द्वारा विवादित भूमि के संबंध में मात्र अभिवचन किये हैं, अभिवचनों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये प्रार्थी पक्ष स्वयं को टेनेन्ट घोषित करवाने का विधिक अधिकारी नहीं है। प्रार्थी पक्ष की और कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी पक्ष को कोई अपूर्णीय क्षति भी नहीं होनी है। प्रार्थी पक्ष की माता किरण राजकीय सेवा में अध्यापक के पद पर कार्यरत जिससे उन्हें अच्छी आय अर्जित होती है। जहां तक प्रार्थी पक्ष ने इस मद में विवादित भूमि को अपनी आय का एक मात्र स्त्रोत होना वर्णित किया है, इस संबंध में यह स्पष्ट करना उचित होगा कि प्रार्थी पक्ष ने अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में अपने नाना के पास रहकर बड़ी मुश्किल से जीवन निर्वाह करने के तथ्य अंकित किये हैं जबकि प्रार्थी पक्ष की नानी शंकुतला देवी पत्नी आसाराम के नाम से वाके चक 5 एच पटवार हल्का 11 पी पतरोड़ा तहसील अनूपगढ. के मु.नं. 56 प.नं. 101/18 में 25 बीघा कुल 6.3250 है. भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी पक्ष व उसकी माता द्वारा मात्र अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के लिये घरेलू विवादों के चलते यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी के दादा को विरासत में प्राप्त होने से प्रार्थी अपने पिता अप्रार्थी सं. 4 के हिस्सा की भूमि में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी के पिता के द्वारा प्रार्थी की माता को घर से निकाल दिया है तथा प्रार्थी को उसकी हक हिस्सा की सम्पत्ति से वंचित करना चाहते है। विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है जिसमें से प्रार्थी अपने हक व हिस्से की भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी है। मा. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, श्रीविजयनगर द्वारा प्रार्थी के पिता अप्रार्थी प्रदीप कुमार से प्रार्थी की माता को जीवन यापन हेतु खर्चा बांधा गया है। यदि विवादित भूमि पर निषेधाज्ञा पारित कर अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भूमि के अन्यत्र रहन बैय अन्तरण होने से प्रार्थी अपने अधिकारों से वंचित हो जाएगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

वकील अप्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति नहीं [illegible] कोई दस्तावेज पेश किया गया है। प्रार्थी का विवादित भूमि में [illegible] हिस्सा निहित नहीं है। ना ही वह प्राप्त करने का [illegible] चलते प्रार्थी की माता के द्वारा प्रकरण [illegible] के उद्देश्य से पेश किया गया है। जो सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा विवादित भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति होने तथा भूमि प्रार्थी के दादा के नाम से रिकार्ड में दर्ज होने जो प्रार्थी के दादा को उनके पिता से विरासत में तथा संयुक्त हिन्दू परिवार द्वारा अर्जित आय से क्रय करने से प्राप्त होने के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:33:04 IST
Reason: SelfAttested

परिशीलन किया। प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रतियां जमाबंदी अनुसार विवादित भूमि जुगलकिशोर पुत्र कस्तुरीलाल के नाम से रिकार्ड में दर्ज है, परन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता हो कि विवादित भूमि जुगलकिशोर खातेदार को विरासत में प्राप्त हुई हो अथवा उनकी संयुक्त हिन्दू परिवार की अर्जित आय से क्रयशुदा हो। प्रार्थी की ओर से मा. न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर के प्रकरण सं. 810/2023 से संबंधित दस्तावेज व प्र.सं. 163/2022 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2024 की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है। उक्त प्रकरण हस्तगत प्रकरण से भिन्न प्रकृति के है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्वंय यह स्वीकार किया है कि भूमि पर अप्रार्थी काबिज काश्त है ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध सूचना एवं रिकार्ड अनुसार भूमि के खातेदार जुगलकिशोर की मृत्यु हो चुकी है, चूंकि न्यायालय के समक्ष अन्य कोई तथ्य नहीं आए है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया खातेदार की मृत्यु के उपरान्त भूमि खातेदार के वारिसों को विरासत में प्राप्त होनी है। ऐसे में यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। चूंकि प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

–: आदेश :–

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:33:04 IST
Reason: SelfAttested